

71

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्डुनू
पीठासीन अधिकारी - हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 201/2017

दायर दिनांक-27-10-2017

1 मोतीलाल पुत्र भगवानाराम जाति महाजन निवासी कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. नथमल पुत्र भगवानाराम जाति महाजन निवासी कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू राजस्था।
2. नारायण प्रसाद पुत्र श्रीलाल
3. हरिराम पुत्र श्रीलाल
4. ओमप्रकाश पुत्र श्रीलाल
5. प्रदीप कुमार पुत्र श्रीलाल
6. किशोर पुत्र श्रीलाल
जाति महाजन निवासीगण कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू हाला आबाद गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी।
7. तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री श्यामसुन्दर सैनी

वकील प्रति. नं. :- श्री विप्लव पंडित


दावा बाबत विभाजन

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.06.2024

वाद वादी दिनांक 23.05.2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2023/1872 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव उभय पक्ष द्वारा सहमति जाहिर की गई। फलस्वरूप वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम कारी स्थित खसरा नम्बर 1327, 1329, 1330, 1337 रकबा क्रमशः 1.92, 2.29, 0.70, 0.68 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 5.59 हैक्टर भूमि का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-


सहायक कलक्टर एवं कायपत्तनक
पजिन्टेड (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	भूमि किस्म
1	ओमप्रकाश पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16, किशोर पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16, नारायण प्रसाद पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16, प्रदीप कुमार पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16, हरिराम पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16 मंजू देवी पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/48, लक्ष्मी देवी पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/48, संतोष देवी पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/48 समस्त जाति महाजन साकिन देह खातेदार काश्तकार।	1329/1	2.1113	बारानी प्रथम/ 1.81 बारानी द्वितीय/0.3013
		1330/1	0.0037	बारानी प्रथम/ 0.0037
		1337	0.68	बारानी प्रथम/ 0.22 बारानी द्वितीय/0.46
2	नथमल पुत्र भगवानाराम जाति महाजन साकिन देह खातेदार	1329/3	0.13	बारानी द्वितीय/0.13
		1327/2	1.2630	बारानी प्रथम/ 1.2630
3	मोतीलाल पुत्र भगवानाराम जाति महाजन साकिन देह खातेदार	1329/2	0.0413	बारानी द्वितीय/0.0413
		1327/1	0.5470	बारानी द्वितीय/0.47 बारानी प्रथम/0. 0770
		1330/2	0.6963	बारानी प्रथम/ 0.3963 बारानी द्वितीय/0.30
4	मोतीलाल पुत्र भगवानाराम हिस्सा 1/2, नथमल पुत्र भगवानाराम हिस्सा 1/2 जाति महाजन साकिन देह खातेदार	1327/3	0.1100	बारानी प्रथम/ 0.1100
		1329/4	0.0074	बारानी द्वितीय/0.0074

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
28/06/24
(हवाई सिंह यादव)
सहायक कमिश्नर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ जिला अन्तर्गत
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्या दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)नवलगढ

मुकदमा नम्बर 201/2017

दावा : विभाजन

(मोतीलाल बनाम नथमल आदि)

अन्तिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब - मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.06.2024 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम कारी स्थित खसरा नम्बर 1327, 1329, 1330, 1337 रकबा क्रमशः 1.92, 2.29, 0.70, 0.68 कुल किता 4 कुल रकबा 5.59 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-


क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	ओमप्रकाश पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16, किशोर पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16, नारायण प्रसाद पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16, प्रदीप कुमार पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16, हरिराम पुत्र श्रीलाल हिस्सा 3/16 मंजू देवी पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/48, लक्ष्मी देवी पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/48, संतोष देवी पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/48 समस्त जाति महाजन साकिन देह खातेदार काश्तकार।	1329/1	2.1113	बारानी प्रथम/ 1.81 बारानी द्वितीय/0.3013
		1330/1	0.0037	बारानी प्रथम/ 0.0037
		1337	0.68	बारानी प्रथम/ 0.22 बारानी द्वितीय/0.46
2	नथमल पुत्र भगवानाराम जाति महाजन साकिन देह खातेदार	1329/3	0.13	बारानी द्वितीय/0.13
		1327/2	1.2630	बारानी प्रथम/ 1.2630
3	मोतीलाल पुत्र भगवानाराम जाति महाजन साकिन देह खातेदार	1329/2	0.0413	बारानी द्वितीय/0.0413
		1327/1	0.5470	बारानी द्वितीय/0.47 बारानी प्रथम/0. 0770
		1330/2	0.6963	बारानी प्रथम/ 0.3963 बारानी द्वितीय/0.30

हवाई सिंह यादव
सहायक कलक्टर एवं कायपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

4	मोतीलाल पुत्र भगवानाराम हिस्सा 1/2, नथमल पुत्र भगवानाराम हिस्सा 1/2 जाति महाजन साकिन देह खातेदार	1327/3	0.1100	बारानी प्रथम/ 0.1100
		1329/4	0.0074	बारानी द्वितीय/0.0074

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बशरख्स मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2024 को जारी की गई।


 (हर्नाई सिंह बाईवा)
 सहायक कलक्टर (मन्सूब) नवलगढ
 नवलगढ जिला कुर्छुवा नवलगढ
 मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)